न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– गुंजन सिंह, आई.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 35/2022

जीसीएमएस : 2022/497

1. सरजीत सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 38 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज0 – प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर –अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 251क(1) आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

1. श्री गुरप्रताप सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी
2. राजपैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांक : 22.12.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि –

1. प्रार्थी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी जोत चक 38 पीएस के प.नं. 276/297 मु.नं. 7 कि.नं. 1 ता 13/2 की कुल 3.099है. नहरी भूमि में आवागमन हेतु पहले से स्वीकृत चक 38 पीएस खाता सं. 1 में दर्ज मु.नं. 7 कि.नं. 15/2/0.013, 16/2/0.012है. गै.मु. रास्ता को चौड़ा करने हेतु कि.नं. 15/1/0.010है. व कि.नं. 16/1/0.009है. कुल 0.019है. रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया हैं।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट ली गयी। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक/राजस्व/2022/2138 दिनांक 29.11.2022 के अनुसार प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन हेतु चक 38 पीएस मु.नं. 7 कि.नं. 15/2/0.013–16/2/0.012–25/2/0.013है. स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता उपलब्ध हैं। प्रार्थी उक्त स्वीकृतशुदा रास्ता संकरा होने से कि.नं. 15/0.010–16/0.009 कुल 0.019है. अतिरिक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर रास्ता चौड़ा करवाना चाहाता हैं। रिपोर्ट तसीलदार के संलग्न रिपोर्ट उपतहसीलदार समेजा कोठी की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2022/1195 दिनांक 11.11.2022 के अनुसार रास्ता कम चौड़ा होने के कारण कृषि उपकरण व अन्य कार्य जैसे ट्राली लाने ले जाने हेतु परेशानी होती हैं। अतः प्रार्थी उक्त मार्ग को चौडा करवाना चाहता हैं। रकबा पर कोई विवाद व स्थगन नहीं हैं। नियमानुसार स्वीकृत रास्ते की चौड़ाई बढ़ाई जानी उचित प्रतीत होती हैं।
3. बहस वकील प्रार्थी एवं राजपैरोकार सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा राजस्व(ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 की प्रति प्रस्तुत की। वकील प्रार्थी निवेदन किया कि पूर्व से चल रहा रास्ता संकरा हैं, जिससे भूमि में कृषि उपकरण लाने व ले जाने में कठिनाई का सामना करना पडता हैं। रास्ता स्वीकृत करने के लिए निवेदन किया।
4. पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर एवं रिपोर्ट उपतहसीलदार समेजा कोठी द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया हैं कि रास्ता संकरा हैं, जिससे प्रार्थी को अपनी भूमि में कृषि यंत्र ले जाने में परेशानी का सामना करना पडता हैं। उपतहसीलदार समेजा कोठी द्वारा रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है, अपनी रिपोर्ट में अंकित किया हैं। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं।

–: क्रियान्वयन आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आ[illegible] प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं तथा चक [illegible] 1 में दर्ज मु.नं. 7 कि.नं. 15/0.010है.–16/0.009हे. [illegible] 0.019है. गै.मु. [illegible]ता [illegible]त किया जाता हैं। प्रार्थी रास्ते में आई भूमि की डी.एल.सी. [illegible] तहसीलदार रायसिंहनगर को जमा करावें। तहसीलदार [illegible] जमा करें एंव स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। [illegible]

निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ [illegible]षित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुना[illegible] गया।

(गुंजन सिंह)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2022.12.27 13:45:54 IST
Reason: SelfAttested